


83/99

9374/10



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

P-745539



विक्रय विलेख

प्रतिफल की धनराशि— रु0 1,96,335/-

बाजारू मूल्य — रु0 6,62,400/-

अदा किये गये जनरल स्टैम्प— रु0 46,450/-

1. भूमि का प्रकार — कृषि
2. परगना — बिजनीर
3. ग्राम — वरीना

श्रीम.शंकर

इतिश.कुमार



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

P-745538



- 2 -


4. सम्पत्ति का विवरण - भूमि खसरा संख्या 142स  
रकबा- 0.051हे0 का 1/6 भाग  
यानि 0.0085हे0 व खसरा  
संख्या-158 रकबा-0.421हे0 का  
1/9 भाग यानि 0.0467हे0 इस  
प्रकार कुल विक्रीत रकबा-0.  
0552हे0 स्थित ग्राम-बरौना,  
परगना-बिजनौर, तहसील व  
जिला-लखनऊ।

नामशुंकर

3/3/21/3/2



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



- 3 -


5. मापन की इकाई - हेक्टेअर
6. सम्पत्ति का क्षेत्रफल - 0.0562 हेक्टेअर अर्थात् 552 वर्गमीटर
7. सड़क की स्थिति - सुल्तानपुर रोड व अमरशहीद पथ से लगभग 200 मीटर से अधिक
8. सम्पत्ति का प्रकार - कृषि
9. पेड़ों की स्थिति - कुछ नहीं है।
10. बोरिंग/ कुआँ अन्य - कुछ नहीं है।

हस्ताक्षर

3 MAY 2011



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



- 4 -

चौहदवी खसरा नं० 142स

उत्तर : खसरा संख्या-143,144  
दक्षिण : खसरा संख्या-141  
पूरव : खसरा संख्या-145,146,147  
पश्चिम : खसरा संख्या-339, 140

शमशान

किसी के लिए



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



- 5 -

चौहददी खसरा नं० 158

उत्तर : खसरा संख्या-117,

दक्षिण : खसरा संख्या-157, 159

पूरव : खसरा संख्या-158

पश्चिम : खसरा संख्या-117

रामशंकर

मे 21 2012



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

- 6 -

प्रथम पक्ष की संख्या- 1 : द्वितीय पक्ष की संख्या- 1


बिदेता का विवरण	: केता का विवरण
राम शंकर पुत्र श्री भगवान तीन निवासी ग्राम- बरौना परगना विजनौर, तहसील य जिला- लखनऊ।	उमेश कुमार पुत्र श्री गुन्ना पता-14/355, पुराना बरफ खाना, नई बस्ती उदयगंज, लखनऊ।
व्यवसाय- कृषि	व्यवसाय-व्यापार

रामशंकर

उमेश कुमार



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



- 7 -

विक्रय विलेख

यह विक्रय विलेख राम शंकर पुत्र श्री भगवान दीन निवासी  
ग्राम- बरौना परगना बिजनौर, तहशील व जिला- लखनऊ जिनहें  
आगे विक्रेता कहा गया है एवम् उमेश कुमार पुत्र श्री मुन्ना  
पता-14/355, पुराना बरफ खाना, नई बस्ती उदयगंज, लखनऊ  
जिनहें आगे क्रेता कहा गया है के मध्य निष्पादित किया गया।

राम शंकर

3 MAY 2010



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



- 8 -

विक्रेता व क्रेता शब्द के अन्तर्गत उनके विधिक उत्तराधिकारी,  
वारिसान व निष्पादकगण शामिल हैं।

यह कि विक्रेता भूमि खसरा संख्या 142स रकबा-  
0.051हे0 का 1/6 भाग यानि 0.0085हे0 व खसरा संख्या-158  
रकबा-0.421हे0 का 1/9 भाग यानि 0.0467हे0 इस प्रकार कुल  
विक्रीत रकबा-0.0552हे0 स्थित ग्राम-बरोना, परगना-बिजनौर,  
तहसील व जिला-लखनऊ का मालिक, कामिल व काबिज है तथा

रामशंकर

3 मे 71 3/2



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



- 9 -

उपरोक्त सत्यापित षट्मासिक खाता खतीनी क्रम संख्या 00348 व  
00324 के अनुसार भूमि विक्रेता के नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप  
में दर्ज है और विक्रेता के नाम का अमल दरामद राजस्व अगिलेखों  
में हो गया है और विक्रेता को उचित भूमि विक्रय करने का पूर्ण  
अधिकार प्राप्त है। विक्रेता वैसे की आवश्यकता के कारण अपना  
सम्पूर्ण हिरसा कंता को इस विक्रय विलेख द्वारा विक्रय कर रहा है  
विक्रेता उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि के मालिक, कामिल व काबिज है एवं

रामशंकर

रामशंकर



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



- 10 -

वर्तमान समय में उक्त भूमि कृषि भूमि है और उक्त भूमि सरप्लास भूमि का हिस्सा नहीं है। उक्त भूमि सीलिंग, पट्टे, भूदान व ग्राम समाज की भूमि नहीं है। यह कि विक्रेता यह घोषित करता है कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक व साफ है तथा विक्रेता ने उसे इस विक्रय के पूर्व कहीं बय, हिवा, गिरवी या अनुबन्धित इत्यादि नहीं किया है। विक्रेता ने उक्त भूमि पर कृषि ऋण या अन्य प्रकार का कोई ऋण नहीं लिया है। यदि कोई ऐसा

शमशील

शमशील



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



- 11 -

ऋण मविष्य में निकलता है तो उसके जिम्मेदार विक्रेता व उसके पारिसान व विधिक उत्तराधिकारी होंगे। उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग किसी न्यायालय या सरकारी कार्यवाही के अन्तर्गत विवाद का वस्तु विषय नहीं है, न ही कुर्क इत्यादि है। विक्रेता के अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व, हक या दावा इत्यादि नहीं है, एवं विक्रेता को उक्त दिव्य अन्तरण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्त सम्पत्ति के फलस्वरूप कुल विक्रय मूल्य

शमशील

30/2/2012



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



- 12 -

रु० 1,98,335/- (रुपया एक लाख छियान्चे हजार तीन सौ पैंतीस मात्र) के प्रतिफल में जिसका उपरोक्त केता द्वारा विक्रेता की इस विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची में वर्णित विधि के अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति को विक्रेता यहाँ स्वीकार करता है, तदनुसार उक्त विक्रेता उक्त केता के हाथ उपरोक्त वर्णित भूमि, जिसका विवरण इस विक्रय विलेख के अन्त में अनुसूची के अन्तर्गत दिया गया है, को कतई बेच दिया है, एवं  
रामदीबाल

उमेश कुमार



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AF 654064



- 13 -

विकेता ने विकयशुदा भूमि का मौके पर कब्जा केता को बखूबी करा दिया गया है। अब उक्त आराजी पर विकेता तथा उसके वारिसान का कोई अधिकार नहीं है। विकेता ने विकयशुदा सम्पत्ति को अपने स्वामित्व के समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया व हमेशा के लिए केता को हस्तान्तरित कर दिया है। अब केता विकयशुदा सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग को अपने एकमात्र स्वामित्व व अधिकार व कब्जे में सम्पत्ति के रूप में धारण एव उपयोग व उपभोग करेंगे।

*Handwritten signature*

उमे 213/2



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



- 14 -

विक्रेता व उसके वारिसान उसमें किसी प्रकार की अड़चन बाधा नहीं डाल सकेंगे एवं न ही कोई मांग कर सकेंगे और यदि विक्रयशुदा सम्पत्ति अथवा कोई भाग विक्रेता के स्वामित्व में त्रुटि के कारण या कानूनी अड़चन या कानूनी त्रुटि के कारण क्रेता या उसके वारिसान निष्पादकगण इत्यादि को कब्जे या अधिकार या स्वत्व से निकल जाये तो क्रेता उसके वारिसान, निष्पादकगण इत्यादि को यह हक होगा कि वह अपना समस्त नुकसान मय हर्जा व खर्चा, विक्रेता की शर्तों को

उत्तर प्रदेश



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

T 924183

- 15 -

चल, अचल सम्पत्ति से जरिये अदालत वसूल कर लें। उस स्थिति में विक्रेता एवं उसके वारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होगा।

यह कि विक्रेता यह भी घोषित करता है कि उक्त भूमि लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ तथा UOPO आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ तथा अन्य किसी भी सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्था द्वारा अधिग्रहीत नहीं की गयी है और न ही प्रस्तावित है।

समस्तान्त

3/12/2012

यह कि क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति की दाखिल खारिज राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा लें तो विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी और यह कि इस विक्रय विलेख के पूर्व का अगर कोई बकाया किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो उसको विक्रेता भुगतान व वहन करेंगे, विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी।

यह कि उपरोक्त खसरा नम्बर ग्राम बरीना सामान्य ग्राम के अन्तर्गत आता है। चूंकि विक्रीत भूमि 5 बिस्वा से कम है इसलिए निर्धारित आवासीय सर्किल रेट रूपया 12,00/- प्रति वर्गमीटर के हिसाब से विक्रीत भूमि 0.0552हे0 यानि 552 वर्गमीटर की मालियत रूपया 6,62,400/-होती है चूंकि विक्रय मूल्य, भूमि की बाजारू मूल्य से कम है इसलिए नियमानुसार बाजारू मूल्य पर ही रू0 46,450/- जनरल स्टाम्प अदा किया जा रहा है। भूमि में कोई पेड़ इमारत आदि नहीं है तथा किसी प्रकार की आवासीय गतिविधियां नहीं चल रही है तथा 200 मी0 के अर्धव्यास में कोई निर्माण नहीं है विक्रीत भूमि किसी लिंक मार्ग, राजमार्ग व जनपदीय मार्ग पर स्थित नहीं है। विक्रीत भूमि सुल्तानपुर रोड से व अमर शहीद पथ से लगभग 200 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। विक्रेता व क्रेता दोनों अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। इस विक्रय विलेख के निबन्धन का समस्त व्यय क्रेता द्वारा वहन किया गया है।

श.म.शं.म.ल.

3/12/21 3/12/21

विद्युत धरा

196,335,184 663,000,000

10,000.00 20 18,620.00 1,000  
संप. मंडलों: कक्षा व पॉल टुन- को प्रकल्पगत

पतिपत्र: कामधन  
श्रीमती राजशंकर  
पुत्र श्री अश्विनदीप

रामशंकर

पत्न्या: सुदि  
निवासी: श्रीमती अश्विनदीप  
लखनऊ

ने का संख्या 20/11/10 दिनांक 27/05/2010 म.प्र. 11/2010

रामशंकर



संयोजक अधिकारी के हस्ताक्षर  
पी.के. शिवली  
उप निबंधक (प्रथम)  
लखनऊ  
7/5/2010

निष्पादन लेखाध्वर अथवा अन्य उचित अधिकारी के द्वारा सत्यापित कर प्रमाणित किया जाना आवश्यक है।

श्रीमती राजशंकर  
पुत्र श्री अश्विनदीप  
पत्न्या सुदि  
निवासी श्रीमती अश्विनदीप

रामशंकर

पी. उमेश कुमार  
पुत्र श्री मुल  
पेशा नौकरी  
निवासी 14/365दुरानाबख्शखाना लखनऊ

उमेश कुमार



ने निष्पादन भी प्राप्त किया।  
निवासी अश्विनदीप श्री अश्विनदीप  
पुत्र श्री अश्विनदीप  
पत्न्या सुदि

रामशंकर

निवासी लखनऊ  
पुत्र श्री अश्विनदीप  
पत्न्या सुदि

रामशंकर

निवासी अश्विनदीप श्री अश्विनदीप लखनऊ

निष्पादन अथवा अन्य उचित अधिकारी के द्वारा सत्यापित कर प्रमाणित किया जाना आवश्यक है।

संयोजक अधिकारी के हस्ताक्षर  
पी.के. शिवली  
उप निबंधक (प्रथम)  
लखनऊ  
7/5/2010



लिहाजा यह विक्रय पत्र विक्रेता ने क्रेता के पक्ष में बिना किसी जोर व दबाव के स्वस्थ चित्त मन से समझ गवाहान लिख दिया ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत पड़ने पर काम आवे।

परिशिष्ट: भुगतान विवरण

1. विक्रेता को रू0 1,80,000/- द्वारा चेक संख्या- 363347 दिनांकित 07/05/2010 पंजाब नेशनल बैंक, हजरतगंज लखनऊ क्रेता से प्राप्त हुए।
2. विक्रेता को रू0 16,335/- नकद क्रेता से प्राप्त हुए जिसकी प्राप्ति को विक्रेता स्वीकार करता है।

इस प्रकार विक्रेता को कुल विक्रय मूल्य रू0 1,96,335/- (रूपया एक लाख छियान्चे हजार तीन सौ पैंतीस मात्र) क्रेता से प्राप्त हुए जिसकी प्राप्ति विक्रेता स्वीकार करता है तथा अब कोई धनराशि विक्रेता को क्रेता से लेना शेष नहीं है।

लखनऊ:

दिनांक : 07.05.2010

गवाह :

1. चक्रेश झा  
राम शंकर झा  
जाले बाजार, लखनऊ

राम शंकर

विक्रेता

2. विक्रेता लखनऊ के मजदूरों  
आमि जगिथा मंडल, मुकुलानगर  
मजदूर बाजार, लखनऊ

मजदूर बाजार  
क्रेता

टाईपकर्ता:-

(रोहित)

सिविल कोर्ट, लखनऊ

मसेविदाकर्ता:-

(विवेक कुमार सिंह)

एडवोकेट

सिविल कोर्ट, लखनऊ

विशेष

Registration No. 9374

Year: 2010

Book No.:

0101 रामशंकर  
शंकरदास  
शंकरदास  
शुभ



ग्राम

३२५


पञ्चारा विभाग

तहसील

श्री अमरा - १५२, १५४

शुक्रा - ०१०५५२

जिला लखनऊ



शमशान

विशेष

अमरा ३२५  
केला

२५/११/२०२२

केला

Registration No. 9374

Year 2010

Book No. 1

0201 रामेश कुमार

पुल

14/355 पुणे जिल्हा न्यायालय, लखनऊ

दिवसी



# रजिस्ट्रेशन अधिनियम-1908 की धारा 32-ए, के अनुपालन हेतु फिंगर्स प्रिन्ट्स

प्रस्तुतकर्ता का नाम व पता राम शंकर पुत्र श्री भगवान दीन निवासी ग्राम- बरौना परगना बिजनौर, तहसील व जिला- लखनऊ।

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह:-



दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह:-



रामशंकर

निष्पादनकर्ता के हस्ताक्षर

क्रेता का नाम व पता : उमेश कुमार पुत्र श्री मुन्ना पता-14/355, पुराना बरफ खाना, नई बस्ती उदयगंज, लखनऊ।

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह:-



दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह:-



क्रेता के हस्ताक्षर

उमेश कुमार

आज्ञा दिनांक 07/05/2010 को

पृष्ठ सं 1 जिल्द सं 11514

पृष्ठ सं 171 से 208 पर क्रमांक 9374

रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रार अथवा अधिकारी के हस्ताक्षर

पी.के. धिलोनी

उप निबन्धक (प्रथम)

लखनऊ

(7/5/2010)

